न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), सीतामढ़ी।

विचारण संख्या 245/2023

सी0आई0एस0 नं0– 2695/2021

बिहार सरकार द्वारा सूचक सुरेश मंडल...अभियोजन

बनाम्

अभिषेक कुमार एवं अन्य...अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

उपस्थितः अशोक कुमार मांझी,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

निर्णय की तिथि

31वीं अगस्त, 2026.

(विचारण संख्या 245/2023, सी0आई0एस0 नं0– 2695/2021)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

बेलसंड थाना कांड संख्या 126/2021

Ashok Kumar Manjhi
31/08/26

परिवादी/सूचक	बिहार सरकार द्वारा सुरेश मंडल, पिता– रुपनारायण मंडल, ग्राम– दमामी, थाना–बेलसंड, जिला–सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्रीमति गिरिजा वर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो।
अभियुक्तः– 1. **अभिषेक कुमार,** उम्र–24 वर्ष, पिता– चुमन पासवान 2. **प्रेम पासवान,** उम्र– 36 वर्ष, 3. **अजय पासवान,** उम्र– 28 वर्ष, } दोनो पिता– स्व0 गोनू पासवान सभी साकिनान– देमामी, थाना–बेलसंड, जिला–सीतामढ़ी।	
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्री संतोष कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

परिशिष्ट–'बी'

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या 245 / 2023, सी0आई0एस0 नं0– 2695 / 2021

बेलसंड थाना कांड संख्या 126 / 2021

निर्णय की तिथि– 31वीं अगस्त, 2026.

बिहार सरकार (अभियोजन) बनाम अभिषेक कुमार एवं अन्य (अभियुक्तगण)

अपराध का दिनांक	25.11.2021
प्राथमिकी का दिनांक	01.12.2021
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	04.11.2022
आरोप गठन का दिनांक	19.03.2024
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	30.04.2024
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	21.08.2026
निर्णय का दिनांक	31.08.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का क्रमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार / उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्ध	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोधा की अवधि
ए 1.	**अभिषेक कुमार**	12.10.2022	25.03.2023	धारा 341 / 34, 323 / 34, 366–ए / 34, भा0द0वि0 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 2.	**प्रेम पासवान**	12.10.2022	24.03.2023	धारा 341 / 34, 323 / 34, 366–ए / 34, भा0द0वि0 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 3.	**अजय पासवान**	12.10.2022	24.03.2023	धारा 341 / 34, 323 / 34, 366–ए / 34, भा0द0वि0 एवं	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
31/08/26

				धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।			

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	पीड़िता	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 2	सुरेश मंडल	सूचक
अभियोजन साक्षी संख्या 3	नितेश कुमार	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 4	रामचन्द्र मंडल उर्फ चंदर मंडल	पक्षद्रोही साक्षी

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
31/08/26

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–पी01	दं0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर।

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. अभिषेक कुमार, 2. प्रेम पासवान, 3. अजय पासवान** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 341/34, 323/34, 366–ए/34 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम– दमामी से परतापुर जाने वाली सड़क में नाशी, थाना–बेलसंड, जिला–सीतामढी में दिनांक 25.11.2021 को कारित अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचक सुरेश मंडल के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि मेरी पुत्री पीड़िता उम्र 16 वर्ष का अपहरण दिनांक 25.11.2021 को शाम 4:00 बजे किराना सामान लाने मेरे साथ परतापुर जा रही थी तभी नाशी मे अचानक से 1. अभिषेक कुमार, 2. बिशेक कुमार दोनो पिता चुमन पासवान, 3. प्रेम पासवान, 4. अजय पासवान दोनो पिता गोनू पासवान चारो ग्राम दमामी दो मोटरसाईकिल से अचानक मेरे सामने गाड़ी रोक दिया और मेरी पुत्री को गाड़ी पर चढ़ाकर भंडारी के तरफ भागना चाहा तभी मैं जिस में मेरी बेटी को उक्त लोग गाड़ी पर बैठा रहे थे मैं उक्त व्यक्ति को रोकने की कोशिश करने लगा तभी उक्त चारों लोग मेरे साथ मारपीट करने लगा। उक्त दोनों गाड़ी पर चार लोग थे। मैं उक्त चारो को पहचानता हूँ। मेरे लाख कोशिश के बाद भी उक्त चारो मेरी बेटी का अपहरण कर भागने में सफल हो गये, मैं कुछ नहीं कर सका।

Ashok Kumar Manjhi 31/08/26

3. सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर बेलसंड थाना कांड संख्या–126/2021 दिनांक 01.12.2021 अन्तर्गत धारा 341, 323, 366–ए/34, भा0द0वि0 एवं धारा 8,

लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम प्राथमिकी में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर अभियुक्त अभिषेक कुमार, प्रेम पासवान और अजय पासवान के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 341, 323, 366–ए/34, भा0द0वि0 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् आरोप पत्रित अभियुक्तों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 366–ए/34, भा0द0वि0 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम में संज्ञान लिया गया है।

5. उपरोक्त नामित प्राथमिकी अभियुक्तगण अभिषेक कुमार, प्रेम पासवान और अजय पासवान के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341/34, 323/34, 366–ए/34 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर प्राथमिकी अभियुक्तों ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

6. अभियुक्तों का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दू

7. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये आरोपों को साबित करने मे कुल 04 साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–04 पक्षद्रोही है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता है, अभियोजन साक्षी संख्या–2 सूचक है एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 नितेश कुमार है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मात्र एक प्रदर्श पी–1 दं0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष ने अपने उपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए न तो कोई मौखिक साक्ष्य और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

Ashok Kumar Manjhi 31/08/26

विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण

09. अभियोजन साक्षी संख्या 01 पीड़िता है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि आज मैं न्यायालय में अपने ससुर के साथ अपने ससुराल राघोपुर से आई हूँ। घटना

दिनांक–25.11.2021 की है। मॉ से बाता–बाती हुआ था तो मै अपने मौसी के घर चली गई थी और मौसी के पास फोन नहीं था इसलिए घर पर फोन नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरे पिता ने केस कर दिया। उसके बाद पुलिस मुझे थाना ले गई। फिर न्यायालय में द0प्र0स0 की धारा 164 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श P-1/PW1 अंकित किया जाता है। मैं अपना चिकित्सीय जांच कराने से इंकार की थी। न्यायालय डॉक में खड़ा अभियुक्त अभिषेक कुमार को पहचानती हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त अभिषेक कुमार का घर मेरे घर से 10–15 मिनट की दूरी पर है। इस वाद के तीनों अभियुक्त से मुझे कोई विवाद नहीं है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेश मंडल सूचक है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस केस का सूचक हूँ। लिखित आवेदन पर अंगूठे का निशान करके थाना में दिया था। यह केस मैने अभिषेक कुमार, बिशेक कुमार, प्रेम कुमार एवं अजय कुमार पर दिनांक–25.11.2025 को किया था। घटना आज से चार साल पहले की है। मेरी नाबालिग पुत्री किराना दुकान पर जा रही था, वह नदी किनारे पहुंची तो यह सभी अभियुक्तगण उसका अपहरण करके ले गए। केस करने पर दारोगा जी घर आए और हमलोग से पूछताछ किए। घ ाटना के 15दिन बाद पीड़िता स्वयं घर पर आ गई थी। मैं उसे थाना ले गया था। दारोगा जी पीड़िता को बयान कराने हेतु न्यायालय लाए थे। पीड़िता की शादी आज से दो साल पहले वैशाली में कर दिया हूँ। सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ। आज न्यायालय में सभी अभियुक्त का प्रतिनिधित्व आवेदन है। पुलिस में बयान दिया था।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरी घर पर आई तो बताई कि वह मौसी के यहां चली गई थी। पीड़िता किसी तरह का विवाद का कोई बात नहीं बताई थी। अभियुक्तों से मुझे किसी तरह का विवाद नहीं है।

Ashok Kumar 31/08/26

12. अभियोजन साक्षी संख्या 3 नितेश कुमार है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना आज से साढ़े तीन साल पूर्व की है। मैं पटना में रहता हूँ। पटनास से घर आया तो घटना की जानकारी हुई। मालूम हुआ कि मेरी बहन पीड़िता सामान लेने परतापुर आई थी, वहां पर उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट करने वालों में अजय पासवान और तीन चार लोग थे जिसका नाम याद नहीं है। घटना से 15–20 दिन बाद मैं घर आया उस समय मेरी बहन पीड़िता घर पर थी। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त का नाम नहीं जानता हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मुझे जानकारी हुआ कि मेरे चाचा और मुदालहों में संधी हो गया है। घटना को मैं अपनी आंखों से नहीं देखा था। घ ाटना के बारे में किसके द्वारा पता चला उसका नाम नहीं बता सकता। मुदालह मेरे ग्रामीण है इसलिए चेहरा से पहचानता हूँ। मेरी चचेरी बहन पीड़िता अभियुक्तों के बारे में मुझसे कभी

शिकायत नहीं की थी। पीड़िता की शादी हो गई है वह अपने ससुराल में रहती है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 4 रामचन्द्र मंडल उर्फ चंदर मंडल है, जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। कोई अपहरण या बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। किसी भी अभियोजन साक्षी ने मौखिकिय या दस्तावेजिक रूप से घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण निर्दोष है और अभियुक्तों को इस वाद में गलत फंसाया गया है। अतः अभियुक्तों को रिहा किया जाय।

14. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल 04 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या 04 पक्षद्रोही है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता है। अपने मुख्य परीक्षण में कहती है कि मां से बाता–बाती हुआ तो मैं अपने मौसी के घर चली गई थी। जिसको लेकर पिता ने केस कर दिया। न्यायालय मे द0प्र0स0 की धारा 164 के अंतर्गत बयान दी थी जिस पर पीड़िता का हस्ताक्षर है जिसे पहचानने की बात कहती है जिसे प्रदर्श पी0 1 अंकित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण मे कहती है कि मुझे अभियुक्तों से कोई विवाद नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 सूचक है अपने प्रतिपरीक्षण मे कहते हैं कि मुझे अभियुक्तों से किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, पीड़िता अपने मौसी के यहां चली गई थी। कंडिका 2 में कहते हैं कि पीड़िता की शादी आज से दो साल पहले वैशाली में कर दिया हूँ। अभियोजन साक्षी संख्या 3 नितेश कुमार है। अपने मुख्य परीक्षण मे मारपीट की बात को कहते है। जिससे घटना का समर्थन नहीं होता है। अपने प्रतिपरीक्षण में घटना को अपनी आंखो से नहीं देखने की बात कहते हैं। आगे कहते हैं पीड़िता की शादी हो चुकी है। जहां तक पीड़िता के धारा 164, द0प्र0स0 का सवाल है तो उसमे भी पीड़िता ने अपहरण की बात का समर्थन नहीं की है, अपने बयान में भी मौसी के घर जाने की बात बताती है। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लाए गए आरोपों को सभी युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

Ashok Kumar 31/08/26

15. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मन्तव्य एवं अभियोजन साक्ष्य की विवेचना एवं दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता के बहस पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्त **1. अभिषेक कुमार, 2. प्रेम पासवान, 3. अजय पासवान** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 341/34, 323/34, 366–ए/34 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

16. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, अभियुक्त **1. अभिषेक कुमार**, 2.

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या 245/2023, सी0आई0एस0 नं0– 2695/2021

बेलसंड थाना कांड संख्या 126/2021

निर्णय की तिथि– 31वीं अगस्त, 2026.

बिहार सरकार (अभियोजन) बनाम अभिषेक कुमार एवं अन्य (अभियुक्तगण)

प्रेम पासवान, 3. अजय पासवान को आरोप अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 341/34, 323/34 366–ए/34 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से निर्दोष पाते हुए उन्हे इन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उनमुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस वाद के साक्षियों के विरूद्व निर्गत अधिपत्र को बिना तामिला वापस करने हेतु संबंधित थाना को पत्र निर्गत करें एवं अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित, संशोधित, उद्घोषित

Ashok Kumar 31/08/26

अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो
सीतामढ़ी।
दिनांक 31.08.2026

लेखापित

Ashok Kumar 31/08/26

अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो
सीतामढ़ी।
दिनांक 31.08.2026

1.	Date of Judgement/Order	31-08-2026
2.	Date of Reserving Judgement/Order	21-08-2026
3.	Uploading Date	03-09-2026
4.	Uploaded by	Sri Purnendu Kumar